वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 04.04.2025

कांशीराम आवास योजना में होंगे विकास कार्य

वाराणसी। कांशीराम आवास योजना में रहने वाले लोगों के सुझाव के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि यहां के लोगों से बातचीत कर विकास कार्य कराएंगे। पार्कों और सड़कों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जलभराव, सफाई, सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। योजना के तहत प्रथम चरण में 1500 भवन और दूसरे चरण में भी 1500 भवन सहित कुल 3000 भवन तैयार किए गए थे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 04.04.2025

वीडीए की समीक्षा में 44 मानचित्र किए स्वीकृत

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को वीडीए सभागार में सभी वार्डों के कामकाज की समीक्षा की। जोन तीन में 18, जोन 4 में 14, जोन 5 में 12 समेत कुल 44 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। शमन शुल्क के मद में 3,72,00410 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा कराए गए। उन्होंने टाप टेन बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों पर निगेटिव फीडबैक पर काम करने को कहा। ब्यूरो

न्यायाधीश–दि0 04.04.2025

वाविप्रा अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 03अप्रैल को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 23.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 24,53,686.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-10,33,04,551.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 23.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 54,16,450.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-8,31,87,603.00 जमा कराया गया है।सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे उपस्थित रही।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 04.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 23.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 24,53,686.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-10,33,04,551.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 23.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशिरू0 54,16,450.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-8,31,87,603.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, रोहित कुमार, एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे उपस्थित रही।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 04.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली, जोन-4 भेलूपुर व नगवां, जोन-5 रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति 1.03.2025 से 31.03.2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, ढ्ढत्रक्र पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया ह्दद्दड्डह्लद्ब1द्र स्नद्गद्गस्रड्डड्ढ्ड पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 18, जोन-4 द्वारा कुल 14 व जोन-5 द्वारा कुल 12 इस प्रकार कुल 44 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 3,72,00410.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण—दि0 04.04.2025

अवैध प्लाटिंग पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता होंगे जिम्मेदार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग करने, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भी दोबारा प्लाटिंग होने की शिकायत पर पारा गर्म रहा। उक्त स्थल पर दोबारा अवैध प्लाटिंग मिलने पर सभी जोनल अधिकारी और अवर अभियंता जिम्मेदार होंगे। सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी की इसकी समीक्षा की गई जाएगी। अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के साथ उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराएं। अगली समीक्षा बैठक में 10 बड़ी कार्रवाई की सूची और फोटो लेकर आने को कहा। वह गुरुवार को जोन की समीक्षा रहे थे।

- अभियंता सुनिश्चित करें कि बिना नक्शा पास संचालित नहीं हो रहे पेट्रोल पंप
- जोन पांच के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस

सचिव ने कहा कि मंडलायुक्त न्यायालय से भवनों की अपील रिमांड होकर आई कार्रवाई को लेकर जोनल अधिकारी खुद मानीटरिंग करें। मंडलायुक्त कोर्ट से राहत नहीं मिलने और कार्रवाई का आदेश होने के बाद भी उसे अमल में लाया गया या नहीं, इसकी अलग से रिपोर्ट बनाएं। सभी जोनल अधिकारी और अवर अभियंता सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कोई पेट्रोल पंप संचालित नहीं हो रहे हैं। जोन तीन ने 18, जोन चार ने 14 और जोन पांच ने कुल 12 शमन मानचित्र दाखिल किए हैं। इनसे कुल तीन करोड़ 72 लाख 410 राजस्व मिला है। जोन पांच शमन मानचित्र कम दाखिल करने और लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बैठक में जोनल अधिकारी संजीव कुमार सौरभ देव प्रजापति, सिंह गौरव जय प्रकाश मौजूद थे।

न्यायाधीश—दि0 04.04.2025

सचिव वीडीए ने की विभिन्न जोनों के साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड.दशाश्वमेधए चेतगंजए चौक व कोतवालीद्धए जोन.4 ;भेलूपुर व नगवांद्धए जोन.5 ;रामनगर व मुगलसरायद्ध का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;1ण्03ण्2025 से 31ण्03ण्2025 तकद्ध कार्यों की समीक्षा की गयी। जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापतिए अवर अभियन्ता श्री राजू कुमारए जोन.4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमारए अवर अभियन्ता श्री आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाशए अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिकए विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्रए स्वीकृत शमन मानचित्र तावान ध् शमन शुल्क की वसूली पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया ।